न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व/रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र/विविध/05/2024/बाड़मेर

प्रार्थी	विप्रार्थी
मंगलाराम पुत्र मंगनाराम, जाति कुम्हार, निवासी बूठसरा (नौसर), तहसील बायतु, जिला बाड़मेर हाल बालोतरा।	1. मूलाराम पुत्र दलाराम 2. जालाराम पुत्र दलाराम, जाति कुम्हार, निवासी बूठसरा (नौसर), तहसील गिड़ा बायतु, बाड़मेर हाल बालोतरा। 3. तहसीलदार, गिड़ा बायतु बाड़मेर हाल बालोतरा।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सी.पी.सी. बाबत् विरूद्व हाजा न्यायालय की अपील संख्या 83/2012 बउनवान मंगलाराम बनाम मूलाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2022 को पुनः बरामद हेतु पेश।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री सुरेश चौधरी अपीलांट/प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री जेठाराम रेस्पों./विप्रार्थीगण संख्या 01 से 02 की ओर से
3. शेष रेस्पों./विप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–03.11.2025

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी मौजा बूठसरा, तहसील बायतु के खेत खसरा संख्या 266 रकबा 136 बीघा 02 बिस्वा की आराजी आयी हुई है। जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही प्रश्नगत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की थी, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर प्रश्नगत अपील पेश की गई। जो श्रीमानजी के न्यायालय में अंतिम बहस में नियत थी। नियत दिनांक 31.03.2022 को वकील अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण से हाजा न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जिससे प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं होने के कारण से अपीलांट/प्रार्थी के हितों पर प्रभाव पड़ा है। श्रीमानजी के माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रार्थना–पत्र किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए उसमें अंकित विंदुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि आलोच्य निर्णय दिनांक 31.03.2022 को हाजा न्यायालय द्वारा वकील अपीलांट के अनुपस्थित होने पर पारित किया गया है। उक्त दिवस को वकील अपीलांट सेशन न्यायालय में एक अति आवश्यक प्रकरण में व्यस्त होने के कारण श्रीमान के न्यायालय में समय पर उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज किया गया था। अपीलांट स्वयं अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण श्रीमानजी के न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। क्योंकि वकील अपीलांट द्वारा अपने पक्षकार को हर पेशी पर आने हेतु भी नहीं कहा गया था। इसलिए उक्त नियत पेशी का अपीलांट स्वयं को ज्ञान नहीं होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका। इस दरम्यान अपीलांट स्वयं द्वारा कई बार फोन के माध्यम से अपने हस्तगत प्रकरण के बारे में पूछा गया किन्तु वकील अपीलांट द्वारा सही जबाव नहीं दिया गया। जिससे अपीलांट को हस्तगत प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट/प्रार्थी हस्तगत प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करवाना चाहते हैं, आलोच्य आदेश द्वारा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर नहीं होकर मात्र तकनीकी आधार पर किया गया है जो विधि संगत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में श्रीमानजी के समक्ष वकील अपीलांट द्वारा लिखित बहस पेश की जा चुकी थी। इस स्तर पर श्रीमानजी के न्यायालय को रेस्पों. की बहस सुनने के बाद गुणावगुण पर निर्णय किया जाना था, किन्तु वकील अपीलांट की लापरवाही के कारण आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत अपील को पुनः नबंर पर लेकर प्रार्थीगण/अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण/रेस्पों. ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी मौजा बूठसरा, तहसील बायतु के खेत खसरा संख्या 266 रकबा 136 बीघा 02 बिस्वा की आराजी आयी हुई है। जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को निर्णीत कर दिया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा श्रीमानजी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें अपीलांट को प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये गये। किन्तु पर्याप्त अवसर के बाद भी वकील अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण आलोच्य आदेश पारित किया गया। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट जानबूझकर हाजा न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुये। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट/प्रार्थी को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया है। श्रीमानजी के न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी/अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया वकील अपीलांट सेशन न्यायालय में एक अति आवश्यक प्रकरण में व्यस्त होने के कारण श्रीमान के न्यायालय में समय पर उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज किया गया था। अपीलांट स्वयं अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण श्रीमानजी के न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। क्योंकि वकील अपीलांट द्वारा अपने पक्षकार को हर पेशी पर आने हेतु भी नहीं कहा गया था। इसलिए उक्त नियत पेशी का अपीलांट स्वयं को ज्ञान नहीं होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका।अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अरसा पांच दिवस पूर्व श्रीमानजी के न्यायालय में आकर उक्त अपीलांट की जांच की गई तो पता चला कि हस्तगत प्रकरण में आलोच्य आदेश दिनांक 31.03.2022 को पारित कर दिया गया है। जिस पर अपीलांट ने आलोच्य निर्णय की नकल को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 23.08.2024 को प्राप्त कर बिना देरी किये ही श्रीमानजी के समक्ष हस्तगत अपील पेश कर दी। वास्तविक ज्ञान की तारीख से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। प्रार्थना–पत्र को अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट/विप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारम्भिक आपत्तियां पेश करते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में गलत तथ्यों का अभिकथन किया है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को करीबन 03 वर्षों की अत्यधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात् यह अपील पत्र पेश किया गया है। उक्त 03 वर्षों की अवधि को माफ करने हेतु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार के कोई वास्तविक कारण का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपील पेश करने हेतु देरी के कारण को माफ किया जा सके। अलोच्य निर्णय का ज्ञान प्रारम्भ से ही अपीलकर्ता/प्रार्थी स्वयं को रहा है। ऐसी दशा में अपीलांट के उक्त कथनों का कोई सार नहीं है। विधिनुसार अपीलांट/प्रार्थी को 03 वर्षों के विलम्ब की अवधि का प्रत्येक दिन का समुचित एवं सद्भाविक विलम्ब स्पष्ट आवश्यक होता है परन्तु अपीलांट/प्रार्थी द्वारा 03 वर्षों की अत्यधिक विलम्ब की अवधि का अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित नहीं किया है। ऐसी दशा में अपीलांट/प्रार्थी की हस्तगत प्रार्थना–पत्र घोर विलम्ब के साथ प्रस्तुत किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट/प्रार्थी को आलोच्य निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने 03 वर्षों के असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। विधि अनुसार

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट/प्रार्थी को हस्तगत पुनः बरामदगी के प्रार्थना–पत्र आलोच्य निर्णय के 30 दिवस के भीतर प्रसतुत किया जाना आवश्यक था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र को इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आलोच्य निर्णय दिनांक 31.03.2022 को पारित किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलांट/प्रार्थी के विरूद्ध आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। इसके बाद अपीलांट/प्रार्थी द्वारा लगातार हाजा न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने के कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। जिससे प्रश्नगत आलोच्य निर्णय प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रतीत होता है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांट/प्रार्थी आलोच्य आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपील तकरीबन 03 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई जिसका कोई सद्भाविक कारण हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपील/हस्तगत प्रार्थना–पत्र को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं। अतः हस्तगत अपील/प्रार्थना–पत्र को मियाद के बिंदु पर खारिज योग्य प्रतीत होती है।

लिहाजा वकील प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र सारहिन होने से खारिज किया जाता है।

3/11/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/11/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर(नवनीत कुमार)